पत्रांक–3 / CG–21 / 2023–

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संजू रानी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

पटना–01, दिनांक–

विषय– **युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन के अंतर्गत संचालित कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC), टूल किट एवं स्टडी किट योजना के रंगीन विज्ञापन के प्रकाशन तथा कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC) एवं स्टडी किट योजना को रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित करने के संबंध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की मूल प्रति की सी०डी० संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन के अंतर्गत संचालित कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC), टूल किट एवं स्टडी किट योजना का रंगीन विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आधे–आधे पृष्ठ में प्रकाशित करने तथा कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC) एवं स्टडी किट योजना को राज्य के प्रमुख रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित करने की कृपा की जाय।

अनु०– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह० / –
(संजू रानी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3 / CG–21 / 2023–161 पटना–01, दिनांक–09/2/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग , बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

2. सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ., बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

3. श्री सुमित कुमार साह, उप निदेशक, प्रावै० शिक्षा, नोडल पदाधिकारी e-advertisement Portal को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4. श्रीमती प्रियेश नंदनी, आई०टी मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

06-02-2026

सरकार के उप सचिव,

Script 1:– <u>कॅरियर सूचना केन्द्र</u>

50 Sec

FVO-प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया गया है, करियर सूचना केंद्र – CIC

MVO- राज्य के सभी नियोजनालयों में संचालित करियर सूचना केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार पत्र निःशुल्क उपलब्ध हैं।

FVO- इतना ही नहीं— करियर सूचना केंद्रों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डिजिटल सामग्री का ऑनलाइन अध्ययन किया जा सकता है।

MVO-राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी करियर सूचना केंद्र संचालित हैं, ताकि युवाओं को मिले एक बेहतर अध्ययन वातावरण।

इच्छुक अभ्यर्थी अपने नजदीकी करियर सूचना केंद्र— CIC का लाभ लें।

FVO-अधिक जानकारी हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर कॉल करें।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Script 2: <u>स्टडी किट योजना</u>

45-50 Sec

FVO- बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार की महत्वपूर्ण पहल...

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण लेकर आया है, स्टडी किट योजना।

MVO- इसके अंतर्गत जिला नियोजनालयों के माध्यम से UPSC, BPSC, SSC, Railway, Banking, NET, JRF

और शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क स्टडी किट प्रदान किया जा रहा है।

FVO- इसके लिए निर्धारित मापदंड है, बिहार का निवासी होना, कम से कम छह माह पूर्व नियोजनालय में निबंधन और पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम हो।

MVO- दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता।

आज ही अपने नजदीकी जिला नियोजनालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर कॉल करें—

FVO- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु सरकार की विशेष पहल

कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC)

1. राज्य के सभी नियोजनालयों में कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC) का संचालित है।
2. राज्य के पाँच विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना, मगध विश्वविद्यालय, गयाजी, तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC) संचालित है।
3. कॅरियर सूचना केन्द्रों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र निःशुल्क उपलब्ध है। इस केन्द्र में अभ्यर्थी अपने सुविधानुसार उपलब्ध पुस्तक/पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं।
4. कॅरियर सूचना केन्द्रों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपलब्ध डिजिटल सामग्री ऑनलाइन अध्ययन करने की सुविधा है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपने नजदीकी कॅरियर सूचना केन्द्र (CIC) का लाभ लें।

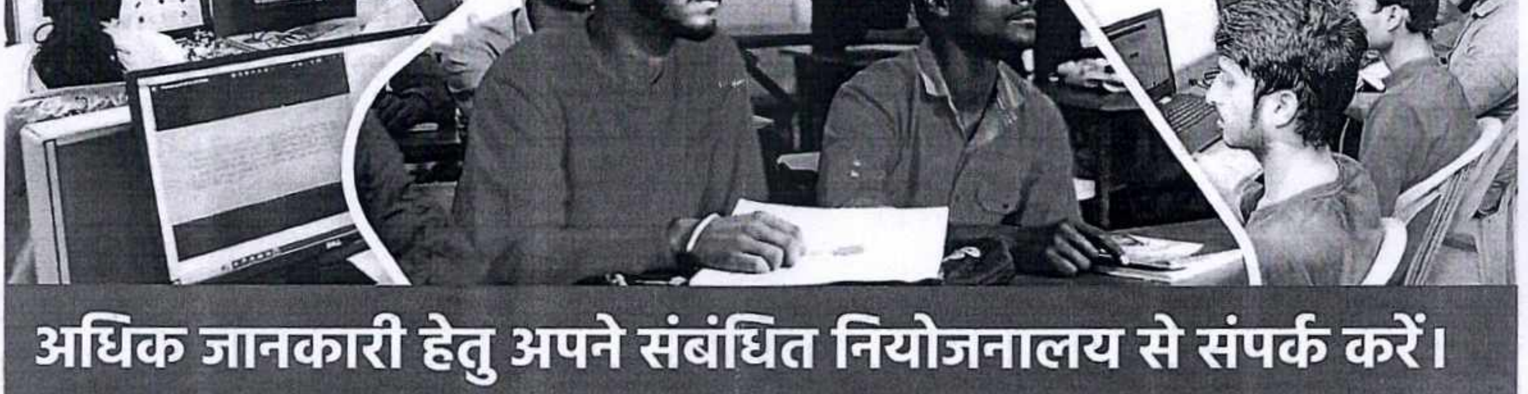

अधिक जानकारी हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।

Toll free No- 1800 296 5656 | Follow Us : @YESDBihar

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

स्टडी किट योजना

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब और भी आसान

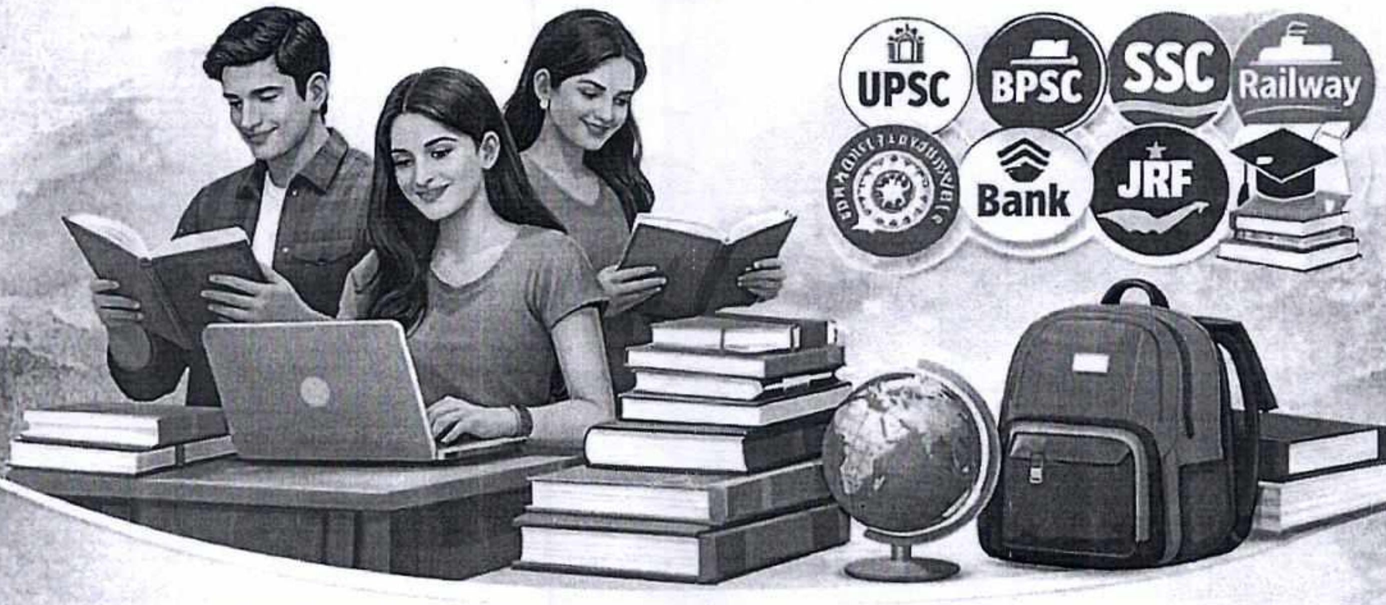

निर्धारित मापदंड एवं योग्यता

- बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
- कम से कम छः माह पूर्व का नियोजनालय में निबंधन।
- उम्र सीमा-परीक्षा के मापदंड के अनुरूप।
- वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3,00,000/- से कम हो।
- UPSC/BPSC/ अन्य लोक सेवा आयोग / SSC/Railway/Banking/NET/JRF / शिक्षक्र पात्रता परीक्षा इत्यादि परीक्षा से सबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- लाभुकों के चयन में दिव्यांगजनों, Transgender, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन करने हेतु
अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।

Toll free No-18002965656

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु

नि:शुल्क टूल किट वितरण योजना

निर्धारित मापदंड एवं योग्यता

- बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
- कम से कम छः माह पूर्व का नियोजनालय में निबंधन।
- उम्र सीमा-18-40 वर्ष।
- वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3,00,000/- से कम हो।
- स्वरोजगार हेतु संबंधित ट्रेडों यथा : Electrician/Electronic/Fitter/ Mobile repair/Plumber/Beautician/ Home appliances repair/Sewing Machine Operator इत्यादि में मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त, RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त एवं बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) से RPL (Recognition of Prior Learning) प्रमाण-पत्र प्राप्त युवा लाभुक होंगे।
- लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन करने हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।

Toll Free No- 1800-296-5656